

3.5.23

प्रथम पक्ष ककालवन हाजिर। द्वितीय
पक्ष अनुप

उभय पक्ष के विडान
अधिकारिता को चुना तथा
दरिद्रता दलानेजों का अवलोकन
किया।

अपील
पुश्नागन, बाद अंचल
अधिकारी, बजोदर द्वारा
नामांतरण बाद सं० - 226/22-23
में दिनांक - 4/08/22 को पारित
आदेश के विरुद्ध लाया गया
था।

अपीलकर्ता के अड्डार
मांजा - भरमुने, घाना - बजोदर

क्र. सं.
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

2

3

में स्थित खाना - 54, एमए -
2206, रकबा - 22 डी. मध्ये
11.50 डी. एवं एमए - 2209
रकबा - 4 डी. मध्ये $1\frac{1}{2}$ डी.
की अमीन निबंधित विडय -
पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता
की मां एवं दादी मुमिना
देवी पति स्व. लोकनथ
साव को हासिल है। उक्त
भूमि का मू-स्वामित्व
प्रमाण - पत्र (LPC) अंचल
अधिकारी बजोदर द्वारा
दिनांक - 2/2/22 को केवल
सुनील कुमार गुप्ता के नाम
निर्गत कर दिया गया, जबकि
यह सम्मिलित सम्पत्ति
(Joint) है। उक्त LPC ने
विट-उ भूमि सुधार उपलब्धता
बजोदर-सरिया के समक्ष
अपील दाखल किया गया।
भूमि सुधार उपलब्धता द्वारा
अपील बाद सं. - 02/2022-23
को स्वीकृत करने हुये दिनांक -
13/4/22 को अंचल अधिकारी,
बजोदर द्वारा निर्गत LPC
को रद्द कर दिया गया।
उक्त LPC रद्द होने
के बाद, इस तथ्य को
धुपाने हुये सामन्य अधिकार

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>पत्र सं० - 128 दिनांक 2/5/22 को आधार बनाते हुये दिनांक 12/05/22 को इन्दुरेव पुराणद द्वारा पुरनागत भूमि का विद्युत मालती देवी वजो के पास कर दिया। इस विद्युत-पत्र के आधार पर अंचल-आधिकारी, वजोदर द्वारा केना मालती देवी के नाम पुरनागत भूमि का नामांतरण कर दिया गया। पत्रा: यह अपील वाद जाया गया है।</p> <p>द्वितीय पत्र के अनुसार पुरनागत भूमि रजिस्ट्री केनाला सं० - 1720, दिनांक - 12.05.22 तथा केनाला सं० - 2266, दिनांक - 29.06.22, केनाला सं० - 2266 दिनांक - 04.07.22 द्वारा इन्दुरेव साव पिता स्व० शिरो साव से खरीद किये हैं। उक्त विद्युत-पत्र के आधार पर अंचल-आधिकारी द्वारा नामांतरण स्वीकृत किया गया है।</p> <p>द्वितीय पत्र का आडो कहना है कि पुरनागत भूमि अपीलकर्ता की माँ सुमिना द्वारा निर्बंधित विद्युत-पत्र के माध्यम से वर्ष 1957 में</p>	

का क्र० सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित


1

2

3

मौ० वेदमो कुंवरी एवं मा०
पार्वती कुंवरी से खरीद
की थी। सुमित्रा देवी की
मृत्यु के पश्चात् उनके तीन
पुत्र जय प्रकाश गुप्ता, ओम
प्रकाश गुप्ता एवं सुनील
कुमार गुप्ता उक्त भूमि पर
कारबिज हुये। वर्तमान में
ओम प्रकाश गुप्ता की मृत्यु
हो गई है जिनके दो पुत्र
एवं दो पुत्री हैं। दिनांक - 21/09/20
को प्रथम पक्ष के सभी
हिस्सेदारों के साथ आपसी
सहमति के साथ बंटवारा नामा
वापन तैयार किया, जिसमें
सभी पक्षों के हस्ताक्षर
भी हैं। उक्त बंटवारा के
आधार पर सुनील कुमार
गुप्ता ने अपने हिस्से की
जमीन का बिडी हेतु सामान्य
अधिकार पत्र इन्द्रदेव साव
के नाम सम्पादित किया।
इन्द्रदेव साव ने विपत्ती के
साथ विद्युत्-पत्र सम्पादित
किया तथा उस विद्युत्-पत्र
के आधार पर विपत्ती
के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत
किया गया है। अतः यह अपील
अस्वीकार करने योग्य है।
उक्त पक्ष के विडान

क्र. सं. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>अधिवक्ता को सुना तथा दारिजल दस्तावेज एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। इनकी विवेचना के उपरान्त में इस निष्कर्ष पर पहुँचा</p> <p>शु.</p> <p>(i) कि इस नामांतरण एवं जमीन के खरीद-बिंडी में जमीन के आपसी बँधारा एवं उनकी अनुमान्यता का विवाद है। नामांतरण बाद में इन तथ्यों की विवेचना नहीं की जा सकती है। इस निष्पादन व्यवहार न्यायालय में ही हो सकता है।</p> <p>(ii) कि अंचल अधिकारी बगोदर द्वारा जनागत भूमि का L.P.C. दिनांक - 02/2/22 को निर्गत किया गया था जिसे भूमि सुधार उपसमिति द्वारा दिनांक - 13/4/22 को रद्द कर दिया।</p> <p>(iii) कि डिप्टी एस के द्वारा भूमि सुधार उपसमिति के द्वारा L.P.C. रद्द करने के आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में पुनरीक्षण हेतु वाद दायर नहीं किया गया।</p>	

देश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p> (iv) किरद LFC की बात को छुपाते हुये डिजीय पक्ष के द्वारा 2/5/22 को सामान्य अधिकार पत्र एवं 12/05/22 को विजय पत्र सप्रचारित किया गया। </p> <p> उक्त विवेचन के आगे के में इस अपील को स्वीकृत करते हुये अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा पारित नामांतरण आदेश को रद्द किया जा रहा है। </p> <p> आदेश की प्रति निम्न -थाचालय एवं सभी पक्षकारों को भेजे। </p> <p style="text-align: right;">  LRDC. </p>	